लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2434

06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कताई मिलों को रियायती दर पर कपास

2434. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कताई मिलों को सब्सिडी दर पर कपास उपलब्ध कराने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार हथकरघा बुनकरों के खराब जीवन-स्तर को देखते हुए उन्हें ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने पर विचार करेगी?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सीसीआई स्टॉक की बिक्री दैनिक आधार पर ऑनलाइन स्वतंत्र ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इससे पूर्ण पारदर्शिता, उचित मूल्य खोज और बिना किसी मैन्यूअल इंटरवेंशन के वसूली सुनिश्चित की जाती है।

(ख): भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना (सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड) कार्यान्वित की जा रही है, जो राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का एक घटक है, जिसके तहत देश भर में हथकरघा संगठनों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में, सरकार द्वारा ब्याज अनुदान 7% तक सीमित है। व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी को ऋण राशि के 20% की दर से अधिकतम 25,000/- रुपए मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है और हथकरघा संगठन को ऋण राशि के 20% की दर से अधिकतम 20 लाख रुपए (प्रत्येक 100 बुनकर/कामगार के लिए @2.00 लाख रु.) की मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है। हथकरघा संगठन को ऋण पर 3 वर्ष की अवधि के लिए क्रेडिट गारंटी शुल्क भी प्रदान किया जाता है।

***